प्रपत्र 30

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अर्न्तगत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1
(For linear projects)

Government of Uttarakhand **Office of the District Collector** Dehra Dun

No Dated 07-03-2015

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 1.4170 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of PWD, Sahiya for the Construction of Lakshyar-Ludhara-Kyari-Kachta Motor Road(4.00 Km) in Dehradun district falls within jurisdiction of Mehsasa/Kyari village in Kalsi tehsils.

It is further certified that:

(a) **The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.4170 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure I to Vth annexure 23.2, 23, 23.1**

(b) **The diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;**

(c) **The proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.**

Eucl:- **As above.**

Signature
(Full name and official seal of the District Collector)

(Ravi Nath Raman)
District Magistrate
Dehra Dun

प्रपत्र 30.0

FORM-II
(for projects other than linear projects)

Government of Uttarakhand **Office of the District Magistrate**

No **Dated** 07.03.2015

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 1.417 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of PWD, Sahiya for the Construction of Lakshyar-Ludhara-Kyari-Kachta Motor Road(4.00 Km) in Dehradun district falls within jurisdiction of Mehsasa/ Kyari village in Kalsi tehsils.

It is further certified that:

(a) **The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.417 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure I to V annexure 23.2, 23, 23.1**

(b) **The proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concered Grama Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;**

(c) **The each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. a copy of certificate issued by the garm sabha of..KYARI..... villages(s) is enclosed as annexure30.3To annexure30.4**

(d) **The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;**

(e) **The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;**

(f) **The rights of Primitve Tribal Groups and Pre-Agricultural communites, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA**

Eucl :- **As above.**

Signature
(Full name and official seal of the District Collector)
(Ravinath Raman)
District Magistrate
Dehra Dun.

प्रपत्र 30.1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT DEHRADUN (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Dehradun district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr Ravi Nath Raman I.A.S District Magistrate, Dehradun on dated 07.03.2015 at time 1.2.P.M..at Dehradun In which application claiming rights in measuring 1.417Area hect for the construction of LAKSHYAR-LUDHARA-KYARI-KACHTA MOTOR ROAD forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub divition level committee of Kalsi sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committees recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place;.. Dehradun

Dated:07/03/2015

Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee

(Ravi Nath Raman
District Magistrate
Dehra Dun.

कार्यवृत्त

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वननिकासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 (समय समय पर संशोधित) के धारा–6 (5) तथा पर्यावरण एंव वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक सं0 11–09/98–FC(pt) दिनांक 09.8.2009 द्वारा जारी निर्देशानुसार जिला स्तरीय समिति की बैठक आज दिनांक 07/3/15 मे जिलाधिकारी देहरादून की अध्यक्षता मे सम्पन्न हुई। बैठक मे समस्त अन्य सदस्यगण थे इस बैठक मे निम्न प्रस्ताव पर mक्त अधिनियम के अनुसार किन्ही अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी के right व settlements के सम्बन्ध में चर्चा व विचार विमर्श हुआ–

जनपद– देहरादून .के अन्तर्गत वन भूमि पर प्रस्तावित जनपद देहरादून में विकासखण्ड कालसी के लखस्यार– लुघेरा–क्यारी–कचटा ह0वा0 मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन किमी0 11 से 14 एवं विस्तार 15 से 18 निर्माण हेतु 1.417 है0 वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 184 वृक्षों के पातन की अनुमति हेतु अ0ख0,लो0नि0वि0 सहिया को वनभूमि हस्तान्तरण।

उक्त प्रस्ताव को कथित अधिनियम के धारा –6 (1) के अनुसार उभौ, क्यारी, ग्राम सभा के ग्राम स्तरीय समिति द्वारा उनकी बैठक दिनॉक 11-11-2014 को विचार विमर्श कर नियमानुसार निस्तारण किया गया है। पुनः उक्त प्रस्ताव को कथित अधिनियम की धारा –6(3) के प्राविधानानुसार उपजिलाधिकारी कालसी की अध्यक्षता में गठित उपजिलास्तरीय समिति द्वारा उनके बैठक दिनॉक 27-2-15 को विचार विमर्श कर निस्तारण हेतु जिला स्तरीय समिति को प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।उक्त समितियों के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव /आख्या के अनुसार वर्तमान मे विचाराधीन उक्त वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव मे पाया गया कि चकराता वनप्रभाग की रिवर रनेज के अर्न्तगत सिविल सोयम वन भुमि मे चिन्हत भु–भाग पर वनअधिकार हेतु किन्ही अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वन निवासी से सम्बन्धित समुदाय का का कोई Right व Settlements की कार्यवाही अपेक्षित नही है। अत वनअधिकार हेतु कोई दावा नही है ।

बैठक मे जिला स्तरीय समिति द्वारा प्रस्ताव पर अनुमोदित किया गया । अन्त मे बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त की गयी ।

जिला समाज कल्याण अधिकारी
देहरादून
सदस्य सचिव

प्रभागीय वनाधिकारी
चकराता वन प्रभाग चकराता
सदस्य

जिलाधिकारी
अध्यक्ष
देहरादून

District Magistrate
Dehra Dun.

प्रपत्र– 30.2

परियोजना का नाम :– जनपद देहरादून में विकासखण्ड कालसी के लखस्यार–लुधेरा–क्यारी–कच्टा मोटर मार्ग का विस्तार किमी0 15 से किमी018 तक मार्ग नव निर्माण हेतु 1.822 है0 वन भूमि लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

कार्यालय उपजिलाधिकारी कालसी

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण–पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील – कालसी) उपखण्ड कालसी परिक्षेत्र के अन्तर्गत – जनपद देहरादून में विकासखण्ड कालसी के लखस्यार–लुधेरा–क्यारी–कचटा मोटर मार्ग का विस्तार किमी0 15 से किमी018 तक मार्ग नव निर्माण हेतु 1.417 है0 वन भूमि लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।
(शून्य हे0 आरक्षित वन भूमि, 1.417 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि, 1.383 हे0 नापभूमि)वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 2.800 हे0 वन भूमि) का अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग सहिया के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजातिऔर अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील –कालसी) की दिनांक 11-11-2014 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री **अशोक पाण्डेय, उप जिलाधिकारी कालसी** एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री अशोक पाण्डेय , उपजिलाधिकारी कालसी देहरादून (अध्यक्ष)
2– श्री ..... उपप्रभागीय वनाधिकारी ,चकराता वन प्रभाग चकराता (सदस्य)
3– श्री मिठन लाल , सहायक समाज कल्याण अधिकारी (सदस्य / सचिव)
4– श्री राजेश नौटियाल. बी0डी0सी0 क्षेत्र – लाच्छा (सदस्य)

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र चकराता के ग्राम लखस्यार लुधेरा क्यारी कचटा मार्ग के विस्तार कि0मी0 15– 18 तक मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.417 है0 वन भूमि लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 है0 आरक्षित वन भूमि, 1.417 है0 सिविल सोयम भूमि, नाप भूमि 1.383 है0) अर्थात कुल 2.800 है0 का अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग सहिया के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्योंके समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्तभूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।
संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा / आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा / पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

तहसीलदार
कालसी

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड कालसी परिक्षेत्र के अर्न्तगत मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र चकराता के विकासखण्ड कालसी में लखस्यार लुधेरा क्यारी कचटा मार्ग क विस्तार किमी0 15 से 18 तक मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.417हे0 वन भूमि **लो0नि0वि0** को हस्तान्तरण परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 है0 आरक्षित वनभूमि, 1.417 है0 सिविल सोयम भूमि,नापभूमि 1.383) अर्थात कुल 2.800 है0 को अ0ख0,लो0नि0वि0 सहिया के पक्ष में हस्तान्तरित कर जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– कालसी
जनपद– देहरादून

प्रतिलिपि :– जिलाधिकारी, देहरादून. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– कालसी
जनपद– देहरादून

प्रपत्र-30.3

कार्यालय
ग्राम पंचायत क्यारी
तहसील–कालसी,जिला–देहरादून

परियोजना का नामः– जनपद देहरादून में विकासखण्ड कालसी के लखस्यार–लुधेरा–क्यारी–कचटा मोटर मार्ग का विस्तार किमी0 15 से किमी018 तक मार्ग नव निर्माण हेतु 1.417 है0 वन भूमि लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

आम सभा का अनापत्ति प्रमाण–पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद देहरादून के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र चकराता के विकासखण्ड कालसी में लखस्यार लुधेरा क्यारी कचटा मार्ग के विस्तार कि0मी0 15– 18 तक मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.417है0 वन भूमि लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 है0 आरक्षित वन भूमि, 1.417 है0 सिविल सोयम भूमि, नाप भूमि 1.383 है0) अर्थात कुल 2.80 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत क्यारी द्वारा दिनांक 11.11.2014 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में अ0ख0, लो0नि0वि0, सहिया द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा क्यारी द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया जिसमे प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम क्यारी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि अ0ख0, लो0नि0वि0, सहिया देहरादून को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ग्राम सभा की सिफारिश पर वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत विभाग द्वारा (0.00 है0 आरक्षित वन भूमि, 1.417 है0 सिविल सोयम भूमि, नाप भूमि 1.383 है0) अर्थात कुल 2.80 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग सहिया को लखस्यार लुधेरा क्यारी कचटा मार्ग के विस्तार कि0मी0 15– 18 तक मार्ग का नवनिर्माण हेतु कोई प्रदान किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/–
ग्राम प्रधान क्यारी

प्रधान ग्राम पंचायत क्यारी
वि0ख0 कालसी (दे0दून)

प्रपत्र— 30·4

दिनांक –: 11.11.2014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्रामपंचायत –क्यारी

कमाक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	श्यामलाल नौटियाल	[signature]
2-	कृपाराम "	
3-	प्रेमदत्त "	प्रेमदत्त
4-	बलीराम "	[signature]
5-	दीपाराम "	दीपाराम
6-	रामचन्द "	रामचन्द
7-	कान्तीराम "	KRam
8-	धर्मदत्त "	[signature]
9-	ताराचन्द "	ताराचन्द
10-	दिनेश "	[signature]
11-	अर्जुन दत्त "	अर्जुनदत्त
12-	नवीन "	
13-	खुशीराम "	खुशीराम
14-	नारायणदत्त "	नारायणदत्त
15-	मुन्नादास	मुन्नादास
16-	गोपाल	गोपाल
17-	पिन्टू	पिन्टू
18-	रवजीदास	रवजीदास
19-	नक्टा दास	नकटा
20-	शम्भूदास	शम्भूदास
21-	मिजान दास	मिजादास
22-	रामबहादुर	रामबहादुर

ह0/–
ग्राम प्रधान

क्षेत्र पंचायत सदस्य लाखा
ह0... [signature]
विकास खण्ड कालसी (देहरादून)

प्रधान ग्राम पंचायत क्यारी
ह0 निर्मला
दि0........
वि0ख0 कालसी (दे0दून)

क्रम सं०	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	निर्मला देवी w/o श्याम लाल स्यारी	नि मूला
2-	सन्तो देवी w/o शोभाराम स्यारी	सन्तो देवी
3-	श्रीमती इन्दा देवी w/o शिवदत्त स्यारी	
4-	इन्दा देवी w/o जोगराम स्यारी	इन्दा देवी
5-	श्रीमती प्रभादेवी w/o ब्रह्म दत्त स्यारी	अं०नि० प्रभा देवी
6-	तारो देवी w/o नारायण दत्त स्यारी	अं०नि० तारो देवी
7	श्रीमति अनिता देवी w/o राम सिंह स्यारी	अं०नि० अनिता